न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/34

1. श्रीमती सोसर बाई पत्नी श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. जगदीश आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।
2. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 92(क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 801 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 04 बीघा भूमि पर वादीगण पिछले 40 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण से पूर्व उक्त भूमि पर वादिनी कम 01 के पति व वादी संख्या 02 के पिता देवलाल काबिज काश्त थे । देवलाल के पहले उनके पिता स्वर्गीय उद्दा जी काबिज काश्त थे । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये

हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 801 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें और वादी को उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्ररकण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई के अधिकार वंचित कर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने तनकी कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को दिनांक 31.08.2021 को नियत पेशी पर आगामी पेशी दिनांक 07.12.2021 सुनवाई हेतु नियत की गई थी किन्तु पेशी से पूर्व ही दिनांक 02.10.2021 को उक्त पत्रावली को कैम्प रजलावता में ले जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । कैम्प में प्रार्थिया अपीलान्ट कम 01 को कहा गया कि पत्रावली पर दस्तखत कर दो तुम्हारी पेशी जो पूर्व में थी वही रहेगी परन्तु 02 दिन बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने व न्यायालय की कॉज लिस्ट देखने पर ज्ञात हुआ कि कैम्प ही दावे का निर्णय कर दिया है जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.10.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसकी दिनांक 22.11.2021 को

नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन था । दिनांक 31.08.2021 को आगामी पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 07.12.2021 नियत की गई परन्तु नियत पेशी से पूर्व ही दिनांक 02.10.2021 को पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प में ले जाकर वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व नियमों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि के सार्वभूत सिद्धान्तों के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए निर्णय पारित किया है । घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को मेरिट पर विधिवत तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना होता है । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पूर्व निर्णय में जारी किये गये निर्देशों की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादीगण अपीलान्ट सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं । सरकारी सिवायचक भूमि पर वादीगण अपीलान्ट को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अपीलान्टगण कैम्प में उपस्थित हुई है उनकी उपस्थिति के अंगूठा निशानी परीक्षण न्यायालय की आदेशिका पर हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है, खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था । जिसे परीक्षण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के द्वारा खारिज किया था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2017 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये कि "परीक्षण न्यायालय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।" न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2017 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 06.11.2019 को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 03 तनकी कायम की । इसके उपरान्त उक्त वाद साक्ष्य वादी में लम्बित था और इसमें अगामी तारीख पेशी दिनांक 07.12.2021 नियत की परन्तु इससे पहले ही दिनांक 02.10.2021 को कैम्प कोर्ट में रखते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया । न्यायालय हाजा द्वारा अपने पूर्व निर्णय में निर्देशित किया गया था कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तत करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें परन्तु परीक्षण न्यायालय ने नियत तारीख पेशी दिनांक 07.12.2021 से पूर्व ही प्रशासन गॉवों के संगत अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित कर दिया जो उचित नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी डिक्री में भी परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से उपस्थिति अंकित नहीं की है । परीक्षण न्यायालय ने पूर्व के निर्देशों की पालन नहीं की तथा न ही साक्ष्य/सुनवाई का पूर्ण अवसर अपीलान्ट को प्रदान किया है । उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर तनकीवार निर्णय पारित करें । वादीगण अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में एक–दो तारीख पेशी पर अपनी साक्ष्य अवश्य पेश करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 18.07.2022 को उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा